



2026:AHC-LKO:42140

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

रिट-सी संख्या 6444 वर्ष 2026

आनंद सिंह इण्टरमीडिएट कॉलेज, प्रतापगढ़ द्वारा प्रबंधक, रेशम सिंहयाची

बना म

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, लखनऊ एवं अन्यविरोधी
पक्षकार

याची के अधिवक्ता: अमर नाथ दुबे, अंकित दुबे

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति मनजीव शुक्ला

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर नाथ दुबे के सहयोगी विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष शुक्ला, विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 3 के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री बद्धीश कुमार त्रिपाठी तथा विरोधी पक्षकार संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता को सुना गया।

2. इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा 22 जून, 2026 को विस्तार से सुनवाई की गई थी और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- “1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस रिट याचिका में संलग्न प्रलेखों से यह प्रकट होता है कि गाटा संख्या 1442, 1271 ख एवं 1271 के संबंध में राजस्व प्रविष्टियों के संशोधन का आदेश याची को बिना सूचना जारी किए पारित किया गया था, यद्यपि उनका नाम खतौनी में अंकित है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी प्रकट होता है कि आदेश-पत्रक 30.03.2026 को मुद्रित किया गया है किंतु आदेश पर उप-प्रभागीय दंडाधिकारी, कुण्डा, प्रतापगढ़ द्वारा 30.05.2026 को हस्ताक्षर किए गए हैं।
3. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि राजस्व अभिलेख में कोई भी प्रविष्टि केवल प्रभावित पक्षकारों को सूचना जारी करने के उपरान्त ही संशोधित की जा सकती है।
4. प्रथम दृष्टया, इस मामले में उस अधिकारी की घोर मनमानी प्रतीत होती है जिसने उस तिथि से भिन्न तिथियों पर आदेश पारित किए हैं जिस तिथि पर आदेश-पत्रक मुद्रित किए गए हैं।
5. इस मामले को 25 जून, 2026 को नए मामलों की सूची में सूचीबद्ध किया जाए।
6. उप-प्रभागीय दंडाधिकारी, कुण्डा, प्रतापगढ़ को मामले के संपूर्ण अभिलेख के साथ अगली तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”
3. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22 जून, 2026 के अनुपालन में, श्री वाचस्पति सिंह, उप-प्रभागीय दंडाधिकारी, तहसील- कुण्डा, जनपद- प्रतापगढ़ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।
- अस्वीकरण:**
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस न्यायालय ने उप-प्रभागीय दंडाधिकारी, तहसील- कुण्डा, जनपद- प्रतापगढ़ से स्पष्ट प्रश्न किया कि क्या गाटा संख्या 1271, 1271 ख एवं 1442 के संबंध में राजस्व अभिलेखों से याची का नाम हटाने का आदेश पारित करने से पूर्व याची को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, तो उप-प्रभागीय दंडाधिकारी ने अत्यंत निष्पक्षता से स्वीकार किया कि याची को सूचना जारी नहीं की गई थी और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही इस रिट याचिका में आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। उप-प्रभागीय दंडाधिकारी, तहसील- कुण्डा, जनपद- प्रतापगढ़ ने आगे न्यायालय से अनुरोध किया कि गाटा संख्या 1271, 1271 ख एवं 1442 के संबंध में जहां तक याची के नाम का संबंध है, राजस्व अभिलेख में संशोधन के आदेश को निरस्त कर दिया जाए, तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात नवीन आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित उप-प्रभागीय दंडाधिकारी, कुंडा, जनपद- प्रतापगढ़ द्वारा अपनाए गए स्पष्ट रुख को भी संज्ञान में लिया है।

5. याची के इस स्पष्ट पक्ष के दृष्टिगत कि गाटा संख्या 1271, 1271 ख एवं 1442 के संबंध में याची को कारण बताओ सूचना जारी किए बिना और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना खतौनी से उसका नाम हटा दिया गया था तथा उक्त तथ्य को उप-प्रभागीय दंडाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, यह रिट याचिका **स्वीकृत** की जाती है।

6. इस रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 40 पर उपलब्ध संलग्नक संख्या 3 में निहित आदेश दिनांक 30.03.2026 को गाटा संख्या 1271, 1271 ख एवं 1442 से संबंधित राजस्व प्रविष्टियों के संशोधन की सीमा तक निरस्त किया जाता है। तथापि, उप-प्रभागीय दंडाधिकारी, तहसील कुण्डा, जनपद- प्रतापगढ़ को विधि के अनुसार नवीन आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। याची को भी कार्यवाही में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है और सूचना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जारी होने के उपरांत याची दो सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त सूचना का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला)

25 जून, 2026

सतीश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।